जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं प्रमाण–पत्र हेतु प्रक्रिया

लखनऊ नगर निगम में जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक जानकारी

१.	**अ. सम्पर्क स्थल**	नगर निगम लखनऊ मुख्यालय कक्ष संख्या ४ एवं कक्ष संख्या १२
	ब. अधिकारी / रजिस्ट्रार का नाम	***नगर स्वास्थ्य अधिकारी*** (जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार) फोन : २२२०१६६–एक्स० १७३
२.	**प्रक्रिया :–**	
	(अ) पंजीकरण हेतु	१. लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित, विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जन्म–मृत्यु केन्द्रों पर जन्म–मृत्यु की सूचना का अंकन क्षेत्रीय वैक्सीनेटरों द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम सूचना उपरोक्त स्थलों पर अंकित कराना आवश्यक है।
		२. जन्म–मृत्यु की सूचना अंकित कराने हेतु जन्म–मृत्यु सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
		३. जो जन्म–मृत्यु एक वर्ष के अन्दर की होती है, उसकी सूचना क्षेत्रीय केन्द्रों पर अंकित की जाती है।
		४. एक वर्ष से अधिक अवधि की जन्म व मृत्यु की सूचना का अंकन, जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश पर जांचोपरान्त किया जाता है।
		५. राजकीय चिकित्सालयों द्वारा प्रत्येक माह जन्म–मृत्यु की सूचना लखनऊ नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त कराई जाती है। ऐसे प्रकरण पर क्रमांक ४ की व्यवस्था लागू नहीं होती है।
	ब. प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु–	१. पंजीयन उपरोक्तानुसार एवं आवश्यक जांचोपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा शुल्क जमा करने पर जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
		२. लखनऊ नगर निगम की सीमा के अन्दर हुई जन्म अथवा मृत्यु (घर अथवा किसी प्राइवेट नर्सिंग होम) की सूचना प्रत्येक वार्ड के अन्तर्गत क्षेत्रीय वैक्सीनेटरों द्वारा अंकित करने के उपरान्त सूचना पर्ची के आधार पर लखनऊ नगर निगम मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य विभाग के जन्म–मृत्यु अनुभाग से जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
	३. शुल्क–	अ. निर्धारित आवेदन पत्र का शुल्क रू १० / – (दस) मात्र।

		ब. कोर्ट फी स्टैम्प १.०० रूपये मात्र
		स. प्रमाण पत्र शुल्क साधारण २० रू० मात्र एवं आवश्यक (अर्जेन्ट) २५ रू. मात्र प्रत्येक प्रति।

	४. समयावधि	अ. साधारण प्रमाणपत्र एक सप्ताह के उपरान्त निर्गत किया जाता है।
		ब. आवश्यक प्रमाण पत्र तीन दिन के अन्दर निर्गत किया जाता है।
	५. शिकायत	जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत नगर स्वास्थ्य अधिकारी/जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार से सीधे की जा सकती है अथवा फोन नं० २२२०१९६ एक्स० १७३ पर की जा सकती है।